अधिसूचना
गुजरात विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, गांधीनगर

दिनांक 4 अप्रैल, 2007

गुजरात विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2004

संख्या : गुज/एसईजेडडीए/पंजी/2007/ गुजरात विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2004 (2004 का 11) की धारा 26 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :

1. **संक्षिप्त शीर्षक : इन विनियमों को गुजरात विशेष आर्थिक क्षेत्र विनियम, 2007 कहा जाएगा।**
2. **परिभाषाएं : जब तक संदर्भ के तहत अन्यथा अपेक्षित न हों, इन विनियमों में, -**
   - **(क) "अधिनियम'' का अभिप्राय गुजरात विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2004 (2004 का 11) से है;**
   - **(ख) "प्राधिकरण'' का अभिप्राय अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित गुजरात विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण से है;**
   - **(ग) "जीडीसीआर'' का अभिप्राय समय-समय यथा संशोधित एसईजेड 2007 के लिए सामान्य विकास नियंत्रण विनियम से है;**
   - **(घ) "सदस्य सचिव'' का अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 7 के तहत नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य सचिव से है;**
   - **(ङ) "नियमों'' का अभिप्राय गुजरात विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2005 से है;**
   - **(च) "धारा'' का अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है;**
   - **(छ) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अभिप्राय वही होंगे जो अधिनियम में उनके अभिप्राय निर्धारित किए गए हैं।**
3. **प्राधिकरण की बैठकों के संबंध में प्रक्रियाएं :**

   (1) **जब भी प्राधिकरण की बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता होगी, सदस्य सचिव चर्चा के लिए एजेंडा की मदों के साथ या बगैर प्राधिकरण के अध्यक्ष को अनुरोध प्रस्तुत करेगा। अध्यक्ष बैठक के आयोजन के लिए उपयुक्त तिथि एवं समय प्रदान कर सकता है तथा स्थान का निर्धारण कर सकता है। ऐसा**

अपेक्षित होने पर अध्यक्ष बैठक बुलाने के लिए सदस्य सचिव को निदेश दे सकता है।

(2) सदस्य सचिव बैठक के स्थान, तिथि एवं समय का उल्लेख करते हुए सदस्यों को नोटिस जारी करेगा। वह वरीयत: नोटिस के साथ चर्चा के लिए एजेंडा की मदें भी अग्रेषित करेगा। सामान्यतया प्राधिकरण की कोई बैठक बुलाने के दौरान सदस्यों को 6 दिन का समय दिया जाएगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय सदस्य सचिव द्वारा रिकार्ड किए जाएंगे तथा इस आशय का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा और अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद, सभी सदस्यों को कार्यवृत्त परिचालित किया जाएगा।

(4) यदि इस प्रकार परिचालित होने पर एक सप्ताह की अवधि के अंदर बैठक के कार्यवृत्त पर सदस्यों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो प्राधिकरण के निर्णयों को सदस्यों द्वारा अनुमोदित के रूप में समझा जाएगा तथा सदस्य सचिव द्वारा निर्णयों को लागू किया जा सकता है।

4. प्राधिकरण के सदस्य सचिव, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें :

प्राधिकरण के सदस्य सचिव, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं नियम वही होंगे जो समकक्ष संवर्ग के सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लागू हैं।

5. यूनिट अनुमोदन समिति के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रक्रियाएं :

(1) यूनिट अनुमोदन समिति निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगी :

(क) विकास आयुक्त का कार्यालय यूनिटों जिनको अनुमोदन प्रदान किया गया है, से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करेगा, आवेदनों को प्रोसेस करेगा तथा एसईजेड के अंदर संबंधित कार्यालयों / अधिकारियों से टिप्पणियां प्राप्त करेगा।

(ख) विकास आयुक्त का कार्यालय यूनिटवार आवेदनों के लिए एजेंडा की मदें तैयार करेगा तथा उन पर विचार के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक बुलाएगा।

(ग) यूनिट अनुमोदन समिति एजेंडा की मदों पर विचार करेगी और ऐसे आवेदनों के लिए एक बार में सभी स्वीकृतियों के लिए अनुमोदन प्रदान करेगी जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और/या शेष अनुमोदनों के लिए पुन: विचार करेगी।

(घ) यूनिट अनुमोदन समिति यूनिट के आवेदन को आस्थगित या अस्वीकार कर सकती है, यदि यूनिट द्वारा शर्तें पूरी नहीं की जाएंगी।

(2) यूनिट अनुमोदन समिति सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों तथा उपभोक्ताओं के बीच वाणिज्यिक स्वरूप के विवादों के समाधान के लिए निम्निलखित प्रक्रिया अपनाएगी :

(क) विकास आयुक्त द्वारा उपभोक्ता से प्राप्त शिकायत की जांच की जाएगी।

(ख) सेवा प्रदाता से टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी।

(ग) एजेंडा तैयार किया जाएगा तथा निर्णय के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जाएगा।

(घ) विकास आयुक्त उपभोक्ता तथा विकासक या सह विकासक को यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से अवगत कराएगा।

(3) यूनिट अनुमोदन समिति आधारभूत सुविधाओं एवं सेवाओं के संबंध में यूनिटों और विकासक के बीच किसी विवाद के समाधान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगी :

(क) विकास आयुक्त द्वारा यूनिटों तथा विकासक या सह विकासक से प्राप्त शिकायतों की जांच की जाएगी।

(ख) यूनिटों तथा विकासक या सह विकासक से टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी।

(ग) एजेंडा तैयार किया जाएगा तथा निर्णय के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जाएगा।

(घ) विकास आयुक्त यूनिट तथा विकासक या सह विकासक को यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से अवगत कराएगा।

6. विकास समिति के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रक्रिया :

(1) एसईजेड के विकास के लिए प्लान :

(क) विकास समिति अनुमोदन के लिए विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्लान का अध्ययन करेगी। यह प्राधिकरण द्वारा विहित किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार किए गए भूमि प्रयोग प्लान की जांच करेगी। यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के संदर्भ में भी प्रस्ताव की जांच करेगी। यह अपेक्षित होने पर संशोधनों, परिवर्तनों का

सुझाव दे सकती है तथा अनुमोदन के लिए प्लान पर विचार कर सकती है।

(ख) तकनीकी स्वरूप के मामले में विकास समिति अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व उपयुक्त तकनीकी राय प्राप्त करेगी।

(ग) विकास समिति समय – समय पर एसईजेड के विकास की समीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप है और विकास कार्य अनुमोदित प्लान के अनुसरण में संपन्न किया गया है।

(2) आधारभूत सुविधाएं एवं अवसंरचना प्रदान करना :

(क) विकास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि विकासक ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में निर्धारित सभी आधारभूत सुविधाओं एवं अवसंरचना को शामिल करते हुए अवसंरचना प्लान प्रस्तुत किया है। विकास समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि विकासक ने इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत शामिल सभी सामाजिक अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं को शामिल करते हुए अवसंरचना विकास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

<u>स्पष्टीकरण</u> : विकास समिति द्वारा अनुमोदित तथा प्रदान की गई अवसंरचना एवं आधारभूत सुविधाएं संगत अधिनियमों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगी, जहां लागू होगा।

(ख) विकास समिति अवसंरचना तथा आधारभूत सुविधा परियोजनाओं की समाप्ति की अनुसूची की भी जांच करेगी तथा अनुसूची या कार्य योजना के अनुसार समाप्ति सुनिश्चित करेगी।

(ग) विकास समिति कार्य की ऐसी मदों के लिए अनुमोदन प्रदान करेगी जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए अपेक्षित हो सकती हैं।

(घ) प्राधिकरण कुछ विशिष्ट सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए आवश्यकता के अनुसार और दिशानिर्देश विहित कर सकता है तथा विकास समिति उनका अनुसरण करेगी।

(3) भूखंडों के आवंटन / अंतरण के लिए प्रक्रिया :

(क) विकास समिति विकासक से प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करेगी तथा समिति के समक्ष रखेगी और विकासक द्वारा तैयार की गई जांच सूची से पुष्टि करेगी।

(ख) विकास समिति प्रसंस्करण क्षेत्र में आवेदनों पर विचार करेगी जिसके लिए यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) विकास समिति पट्टा या अन्यथा के रूप में भूखंडों के आवंटन के लिए निर्णय लेगी तथा विकासक को निर्णय से अवगत कराएगी।

(घ) विकास समिति अंतरण के मामले में उपर्युक्त खंड (क) और (ख) में विहित प्रक्रिया अपनाएगी।

(4) चारदीवारी खड़ी करना :

(क) विकास समिति विनियम 6 (1) के अनुसरण में विकासक द्वारा प्रस्तुत विकास प्लान की जांच कर सकती है तथा सीमाएं निर्धारित करने के बारे में निर्णय ले सकती है।

(ख) किसी परिवर्तन के मामले में विकासक विकास समिति को प्राधिकरण से अनुमोदन की प्रति के साथ संशोधित प्लान प्रस्तुत करेगा। संशोधित प्लान का अध्ययन करने के बाद विकास समिति एसईजेड की सीमाएं निर्धारित करने वाली सारवान चारदीवारी खड़ी करने के बारे में निर्णय लेगी तथा विकासक को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगी।

(5) यूनिटों तथा निवासियों के लिए बुनियादी एवं आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना :

(क) विकास समिति उपर्युक्त विनियम 6(2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवसंरचना तथा आधारभूत सुविधाओं के लिए मंजूरी प्रदान करते समय सुनिश्चित करेगी कि विकास प्लान में निर्धारित सभी भूखंडों के लिए अवसंरचना तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) यूनिटों या निवासियों को पहुंच प्रदान करने में किसी बाधा या अड़चन के मामले में विकास समिति विकासक / सह विकासक को विकास प्लान में संशोधन करने का निदेश देगी।

(6) अस्वास्थ्यकर बस्तियों का उद्धार :

विकास समिति -

(क) अस्वास्थ्यकर बस्तियों की पहचान करेगी तथा इसके कारणों का पता लगाएगी;

(ख) संबंधित व्यक्तियों को नोटिस देगी तथा बस्ती के उद्धार के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त कदम उठाने के लिए उनको निदेश देगी;

(ग) ऐसे भवनों की सूची तैयार करेगी जो खतरनाक या जीर्ण-शीर्ण हालत में प्रतीत होंगे जिनकी तत्काल मरम्मत करने की आवश्यकता है;

(घ) इस प्रकार, सूचीबद्ध भवनों का तकनीकी व्यक्तियों से निरीक्षण कराएगी ताकि सुझाव प्राप्त हो सकें कि भवनों को सुरक्षित बनाने के लिए किस प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता है अथवा भवनों को ध्वस्त करने की आवश्यकता है;

(ङ) भवन के स्वामी एवं अधिभोक्ता को निर्धारित अवधि में भवन की मरम्मत कराने या ध्वस्त करने का निदेश देगी, यदि मरम्मत के योग्य नहीं पाया जाएगा; और

(च) यदि उपर्युक्त खंड (ख) और (ड.) में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होगा, तो चूककर्ताओं से लागत वसूल करना और उपयुक्त कदम उठाना।

(7) सार्वजनिक सड़कों तथा अन्य सरकारी स्थलों पर बाधाओं एवं अतिक्रमणों को दूर करना :

(क) विकास समिति सार्वजनिक सड़कों या स्थलों पर बाधाओं तथा अनधिकृत अतिक्रमणों की पहचान करेगी।

(ख) विकास समिति निर्धारित समय में बाधाओं या अनधिकृत अतिक्रमणों को दूर करने के लिए इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को नोटिस जारी करेगी।

(ग) अनुदेशों का पालन न होने के मामले में विकास समिति बाधाओं एवं अनधिकृत अतिक्रमणों को दूर करेगी और चूककर्ता से लागत वसूल करेगी।

(8) जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण :

(क) विकास समिति सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रोफार्मा में सभी मृत्यु एवं जन्म के पंजीकरण की व्यवस्था करेगी।

(ख) विकास समिति निम्नलिखित कदम उठाएगी :

i. जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के लिए स्थान एवं समय अधिसूचित करना;

ii. **परिवारों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्रसूति गृहों, शवदाह गृहों आदि द्वारा जन्म एवं मृत्यु की नियमित अधिसूचना सुनिश्चित करने के लिए समय – समय पर सत्यापन करना;**

iii. **सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क प्रभारित करके जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था करना।**

(9) **टीकाकरण :**

विकास समिति सरकार के निदेशों के अनुसार सार्वजनिक टीकाकरण के आयोजन तथा हानिकर बीमारियों की रोकथाम तथा उनके प्रसार पर नियंत्रण का सुनिश्चय करेगी।

(10) **विवाहों का पंजीकरण :**

(क) **विकास समिति सरकार द्वारा यथानिर्धारित ढंग से विवाहों के पंजीकरण की व्यवस्था करेगी।**

(ख) **विकास समिति निम्नलिखित कदम उठाएगी :**

i. **विवाहों के पंजीकरण के लिए स्थान एवं समय अधिसूचित करना;**

ii. **विवाहों के नियमित पंजीकरण का समय – समय पर सत्यापन करना;**

iii. **सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क प्रभारित करके विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था करना।**

(11) **सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों का नामकरण करना और नंबरिंग करना :**

विकास समिति विस्तृत लेआउट तैयार करने के बाद सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों का नामकरण कराएगी या नंबरिंग कराएगी।

(12) **आधारभूत सुविधाओं तथा अवसंरचना के लिए प्रभारों का निर्धारण करना :**

(क) **विकास समिति विकासक द्वारा प्रदान की जाने वाली आधारभूत सुविधाओं, अवसंरचना तथा सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभारों या शुल्कों का निर्धारण करेगी।**

(ख) **विकासक प्रयोक्ता प्रभार या शुल्क वसूल करके प्रदान की जाने वाली आधारभूत सुविधाओं एवं सेवाओं की सूची तैयार करेगा तथा विकास समिति को इसका प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।**

(ग) विकास समिति वसूल किए जाने वाले प्रभारों एवं शुल्कों का निर्धारण करने के लिए सिद्धांत एवं ढंग विहित करेगी और तदनुसार प्रस्ताव पर निर्णय लेगी और उसे अधिसूचित करेगी।

(13) नगर आयोजना के मानकों की निगरानी :

(क) विकास समिति भूमि के आवंटन, भवन के निर्माण तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास की प्रगति पर आवधिक रिपोर्टें प्राप्त करेगी।

(ख) विकास समिति आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी तथा जीडीसीआर के तहत निर्धारित मानकों तथा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देशों के साथ तुलना करेगी।

(ग) विकास समिति विकासक या सहविकासक को संशोधनों, यदि आवश्यक हो, का सुझाव देगी।

7. प्रयोक्ता प्रभार एवं शुल्क लगाना :

(1) विकासक आधारभूत सुविधाएं तथा अवसंरचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयोक्ता प्रभार या शुल्क लगाएगा जो विनियम 6 के उप विनियम (12) के तहत विकास समिति द्वारा अनुमोदित हो सकते हैं।

(2) विकासक या सह विकासक द्वारा प्रयोक्ता प्रभार या शुल्क लगाने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

(क) विकासक या सह विकासक प्रयुक्त सेवाओं के लिए बिल तैयार करेगा।

(ख) विकासक या सह विकासक बिलों के वितरण तथा प्रभारों की वसूली की व्यवस्था करेगा तथा उनकी रसीद देगा।

(ग) विकासक या सह विकासक विकास समिति द्वारा विहित प्रयोक्ता प्रभारों एवं शुल्कों के भुगतान में विफलता के मामले में विकास समिति द्वारा यथा निर्धारित कदम उठाएगा।

(घ) कोई व्यथित व्यक्ति विकासक या सह विकासक के दावा या उठाए गए किसी कदम के विरूद्ध ऐसे दावा या उठाए गए कदम की तिथि से तीन माह के अंदर विकास समिति के समक्ष अपील कर सकता है, परंतु यह कि विकास समिति दोनों पक्षों को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान करने के बाद अपील पर निर्णय करेगी।

(अरविंद अग्रवाल)

उद्योग आयुक्त एवं सदस्य सचिव
विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
गुजरात

***